न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 351 / 2022

जगदीश प्रसाद यादव पुत्र मेदाराम, निवासी ढाणी झेडला, ग्रा0पो0 सिहोड, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333036, मो0न0 9829283689

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 21.11.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 02.11.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 351 / 2022 पर दिनांक 02.11.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 5611–12 दिनांक 02.11.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी ने पत्रांक पी0ए0 / सू0अ0अ0(38) / 2022 / 942 दिनांक 04.11.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकर्ता जगदीश प्रसाद यादव पुत्र मेदाराम, निवासी ढाणी झेडला, ग्रा0पो0 सिहोड, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने बाबत दिनांक 28.10.2022 को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। अपीलार्थी द्वारा राजस्व ग्राम सिहोड के भूमि खाता संख्या 119 के खसरा नम्बर 323, 338, 339, 340, 341, 344, 345 पर स्थगन आदेश के संबंध मे सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा स्थगन आदेश से संबंधित पत्रावजी के मुकदमा नम्बर, दायर दिनांक, फैसल दिनांक अथवा उनवान का उल्लेख नही किया जाकर केवल भूमि के खसरा नम्बरान का उल्लेख किया गया थ। चूंकि न्यायालय पत्रावलियों के रिकार्ड संघारण खसरा नम्बरान के अनुसार नही किया जाता है। जिस कारण संबंधित पत्रावली को रिकार्ड मे तलाश किया जाना संभव नही है। उपरोक्त कारणों से सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही होने के कारण अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि मे इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व / सू0अ0अ0(38) / 2022 / 1794 दिनांक 31.10.2022 द्वारा सूचित कर दिया गया था कि आप द्वारा राजस्व ग्राम सिहोड के भूमि खाता संख्या 119 के खसरा नम्बर 323, 338, 339, 340, 341, 344, 345 पर स्थगन आदेश के संबंध मे सूचना चाही गई है। जिसके संबंध मे लेख है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी द्वारा पारित स्थगन आदेश से संबंधित पत्रावलियों के रिकार्ड का संधारण मुकदमा नम्बर, दायर दिनांक, फैसल दिनांक अथवा उनवान के आधार पर किया जाता है। खसरा नम्बरान के अनुसार पत्रावलियों का रिकार्ड इस कार्यालय मे संघारित नही किया जाता है। जिस कारण संबंधित पत्रावली को रिकार्ड मे तलाश किया जाना संभव नही है। चूंकि आप द्वारा स्थगन आदेश से संबंधित पत्रावली के मुकदमा नम्बर, दायर दिनांक, फैसल दिनांक अथवा उनवान का उल्लेख नही किया गया है जिसके कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी के पत्रांक पी0ए0 / सू0अ0अ0(38)

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

/2022/942 दिनांक 04.11.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकर्ता जगदीश प्रसाद यादव पुत्र मेदाराम, निवासी ढाणी झेडला, ग्रा0पो0 सिहोड, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने बाबत दिनांक 28.10.2022 को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। अपीलार्थी द्वारा राजस्व ग्राम सिहोड के भूमि खाता संख्या 119 के खसरा नम्बर 323, 338, 339, 340, 341, 344, 345 पर स्थगन आदेश के संबंध मे सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा स्थगन आदेश से संबंधित पत्रावजी के मुकदमा नम्बर, दायर दिनांक, फैसल दिनांक अथवा उनवान का उल्लेख नही किया जाकर केवल भूमि के खसरा नम्बरान का उल्लेख किया गया थ। चूंकि न्यायालय पत्रावलियों के रिकार्ड संघारण खसरा नम्बरान के अनुसार नही किया जाता है। जिस कारण संबंधित पत्रावली को रिकार्ड मे तलाश किया जाना संभव नही है। उपरोक्त कारणों से सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही होने के कारण अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि मे उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/सू0अ0अ0(38)/2022/1794 दिनांक 31.10.2022 द्वारा सूचित कर दिया गया था कि आप द्वारा राजस्व ग्राम सिहोड के भूमि खाता संख्या 119 के खसरा नम्बर 323, 338, 339, 340, 341, 344, 345 पर स्थगन आदेश के संबंध मे सूचना चाही गई है। जिसके संबंध मे लेख है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी द्वारा पारित स्थगन आदेश से संबंधित पत्रावलियों के रिकार्ड का संघारण मुकदमा नम्बर, दायर दिनांक, फैसल दिनांक अथवा उनवान के आधार पर किया जाता है। खसरा नम्बरान के अनुसार पत्रावलियों का रिकार्ड इस कार्यालय मे संघारित नही किया जाता है। जिस कारण संबंधित पत्रावली को रिकार्ड मे तलाश किया जाना संभव नही है। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मे गांव का नाम एवं खसरा नम्बर अंकित है जिससे चाही गई चाही दी जानी संभव है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, खेतडी को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसे 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 21.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं